


Common Mistakes in Documents Uploaded by Candidates

1. OBC Category Certificate
 - a. Date of Issue must be after 31st March 2026.
 - b. OBC Category Certificate must be for state government.

Correct Format OBC Category Certificate Common Mistakes

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..



Correct as Issued after March 31, 2026 and Issued for State Government

उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जारी दिनांक: 29/05/2026

↓

Date of Issue should be after March 31, 2026

चिन्ता नहसीन आवेदन क्र० प्रमाणपत्र क्र०

प्रमाणित किया जाता है कि पुत्र/पुत्री माता का नाम निवासी ग्राम नहसीन जिला

उत्तर प्रदेश राज्य की अहीर जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो ३०५० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से अपवादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है। अनुसूचित जाति धर्म धर अधिनियम १९५३ में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।

है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <https://edistrict.up.gov.in> पर इसका गृहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।

Invalid OBC Category Format

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..



Incorrect as Issued for Government of India

उत्तर प्रदेश शासन

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

जारी दिनांक: 04/05/2026

BCC(C) dated 10th Sept. 1993, published in the Gazette of India Extra Ordinary Part-I Section-I Dated 13th Sept. 1993 and onwards till date.

This is also to certify that he/she does not belongs to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M.No. 36012/22/93 Estt(SCT) dated 08-09-93 or the latest notification of the Government of India which is modified vide OM No. 36033/3/2004 Estt. (Res.), dated 09/03/2004 and further modified vide OM No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 14/10/2008 or the latest notification of the Government of India.

ANAND KUMAR OJHA Digitally Signed by ANAND KUMAR OJHA O-Personnel SHUTTAR PRADESH

आचार्य केंद्र: शैलेश कुमार, सहज जन सेवा केंद्र
 आचार्य: शैलेश कुमार, केंद्र प्रभारी
 स्थान: CHUREB, खलीलाबाद, चकदही, खलीलाबाद, खलीलाबाद
 दिनांक: 05/05/2026
 प्रस्तावक एवं मुहर

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
 डिजिटल हस्ताक्षरित
 खलीलाबाद, संत कबीर नगर
 दिनांक: 04/05/2026

है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <https://edistrict.up.gov.in> पर इसका गृहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।

2. EWS Category Certificate

- a. **Date of Issue must be after 31st March 2026.**
- b. EWS Category Certificate must be for state government.
- c. Validity of Financial Year should be 2026-2027
- d. Financial Year for Income should be 2025-2026

Correct Format EWS Category Certificate Common Mistakes

कार्यालय-ज्ञाप-संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी. दिनांक 14 मार्च 2019 का संलग्नक
(प्रपत्र-1)
उत्तर प्रदेश सरकार
कार्यालय का नाम-तहसीलदार सदर, गोरखपुर
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र
Date of Issue should be after March 31, 2026

प्रमाण पत्र संख्या 1229 दिनांक 2-4-26
वित्तीय वर्ष 2026-27 **Financial Year Validity should be 2026-2027**

1. [Redacted]

से कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में इनके परिवार का कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है :-
Here Financial Year should be 2025-2026

(क) 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
(ख) एक हजार वर्गफिट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लॉट।
(ग) अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत कि 100 वर्गगज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
(घ) अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. [Redacted]

हस्ताक्षर [Signature] (कार्यालय की मुहर सहित)
पूरा नाम _____
पद नाम _____
[Seal: तहसीलदार सदर, गोरखपुर, जिलाधिकारी अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।]

Invalid EWS Category Format

Government of...
(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCORRECT EWS Certificate

INCOME & ASSETS CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS
Certificate No. 924 Date 31-4-25
VALID FOR THE YEAR 2025-26

This is to certify that Shri/Smt./Kumar, [Redacted] Permanent resident of [Redacted] Territory whose photograph is attested below belongs to Economically weaker section whose gross annual income* of his/her family*** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh) only for the financial year 2025-26. His/her family does not own or possess any of the following assets***

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 300 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumar, [Redacted] belongs to the [Redacted] category which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List)

Signature with seal of Office
Name _____
Designation _____

Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.
Note 2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years
Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

3. Parent's Income Certificate

- a. Parent's Income Certificate should be issued after March 31st 2026.
- b. Parent's Income Certificate should be issued on Father or Mother name.

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..

Untitled Page

उत्तर प्रदेश शासन
कार्यालय तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र

विलेखित दिनांक: 28/05/2026

जारी दिनांक: 28/05/2026

जिला	लखनऊ
तहसील	सरोजनीनगर
आवेदन क्र०	261570010111546
प्रमाणपत्र क्र०	275261019416

यथा विभागीय (क्षेत्रीय भूलेख निरीक्षक तथा लेखापाल) की जांच/परीक्षा के बाद प्रमाणित किया जाता है कि:

पुत्र/पुत्री **It should be Parent's Name**

माता का नाम

मकान नम्बर

मोहल्ला

ग्राम

तहसील

जनपद

उत्तर प्रदेश का/की निवासी है/व उसका वर्तमान **सरोजनीनगर**, जनपद **लखनऊ** उत्तर प्रदेश है।

Thousand है। जिसके अनुसार कुल वार्षिक आय रु. **144000** ब शब्दों में रु. **One Lakh Forty Four Thousand** है। आय का खात मजदूर है। यह प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष तक मान्य रहेगा।

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
सरोजनीनगर, लखनऊ
दिनांक: 28/05/2026

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा वैधता प्रमाणित किया गया है तथा डिजिटल सिस्टम से हस्ताक्षरित है। प्रमाणपत्र के जन्मदिन की जांच के लिए प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <https://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।

4. Parent's Domicile Certificate

a. Parent's Domicile Certificate should be issued on Father or Mother name.

5. UPAF Certificate

a. UPAF certificate must have priority mentioned as claimed.

b. Must be countersigned by District Magistrate

CERTIFICATE-5 (प्रमाण पत्र-5)

उत्तर प्रदेश/सेनावल (Sub-Category UPAF)
(अंतिम युनिट के आफिसर कमान्डिंग/जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा प्रमाणित)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (अभ्यर्थी के पिता अथवा माता का नाम)
निवासी गाँव/शहर तहसील जिला

उत्तर प्रदेश, के दिनांक को सेवानिवृत्त (Superannuated) युद्ध में मारे गये/अपंग हो गये/उत्तर प्रदेश में वर्तमान में तैनात है। वे भारतीय थलसेना/जलसेना/वायुसेना के स्थान दिनांक से दिनांक तक कार्यरत थे/हैं। अभ्यर्थी Department of Ex-Servicemen Welfare, Ministry of Defence, Government of India द्वारा अधिसूचित प्राथमिकताओं में से प्राथमिकता नंबर (Please enter a valid priority number applicable to this candidates per Govt. order No. F.No.6(1)/2017/D(Res.II) dated November 30, 2017)
(कृपया शब्दों में/only in words) के अंतर्गत अर्ह है।

Priority must be filled as claimed during Application form filling

दिनांक युनिट कमान्डिंग आफिसर के परामर्श
स्थान नाम
..... मुहर

(जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु. (अभ्यर्थी) निवासी उत्तर प्रदेश गाँव/शहर तहसील जिला
उपरोक्त सेना बल के सेवानिवृत्त (Superannuated) युद्ध में मारे गये/अपंग हो गये/उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी है/थे, के पुत्र/पुत्री हैं अथवा प्रवेश परीक्षा की तिथि को उत्तर प्रदेश /जलसेना/वायुसेना में कार्यरत थे/हैं।

दिनांक
स्थान मोहर

Must be Counter signed by District Magistrate